राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1888/2024

पूनम गुर्जर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान विभाग, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.05.2024

आदेश की दिनांक : 04.06.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सर्वेयर के पद पर कार्यालय खनिज अभियंता, झुंझुनू में कार्यरत है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को भरतपुर स्थानांतरित किया गया और आदेश दिनांक 23.02.2024 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती देते हुये अपील संख्या 817/2024 प्रस्तुत की गई है, जिसके क्रम में अधिकरण द्वारा दिनांक 23.02.2024 स्थगन आदेश जारी किया गया, जो आज भी प्रभावी है परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 24.05.2024 के द्वारा अपीलार्थी को सहायक खनि अभियंता सावर अजमेर स्थानान्तरण किया है

और आदेश दिनांक 24.05.2024 के द्वारा ही अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है। जबकि अपील संख्या 817/2024 अधिकरण के समक्ष लंबित है। उक्त अपील लंबित होने के बावजूद भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भगवान दास मित्तल बनाम सरकार तथा राजेन्द्र सिंह बनाम सरकार तथा मालाराम बनाम सरकार में यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी कार्मिक के संबंध में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद जारी किया गया स्थानान्तरण आदेश अनुचित व अवैद्य है और इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में अपील लंबित होने के बावजूद जिसमें अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है फिर भी अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 24.05.2024 के द्वारा स्थानान्तरण किया गया है, जो बिना विवेक का प्रयोग किये उप विधि एवं नियमों के विपरीत जारी किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.05.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 24.05.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को सर्वेयर के पद पर कार्यालय खनिज अभियंता, झुंझुनू में ही पदस्थापित रखा जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सर्वेयर के पद पर कार्यालय खनिज अभियंता, झुंझुनू में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी की अपील संख्या 817/2024 अधिकरण के समक्ष लंबित होने बावजूद आदेश दिनांक 24.05.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 24.05.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सहायक खनि अभियंता, सावर के क्षेत्राधिकार हेतु गठित टीम जो अवैद्य खनन/भण्डारण की चैकिंग/कार्यवाही हेतु टीम का गठन किया गया है, जिसमें अपीलार्थी का भी नाम अंकित किया गया है। इस प्रकार उक्त आदेश में अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है और उक्त आदेश के क्रम में ही अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है। इस प्रकार हम प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 24.05.2024 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में बल न होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य